एपीपी – ए
क्राईम I

2019/00187

प्रपत्र संख्या – III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर राज.

अशोक कुमार बनाम तहसीलदार फलौदी
मुकदमा नम्बर 158/2019
किस्म मुकदमा 136,131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2020	पत्रावली पेश हुयी । वकील प्रार्थी तथा सरकारी पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार फलौदी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी बहस में बताया की अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार फलौदी द्वारा ग्राम जागरिया के खेत खसरा संख्या 103/3, 103/2, 103/1, 103 कुल रकबा 67 बीघा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा में बिना किसी आदेश के भू स्वामीयों की बिना सहमती से बिना किसी मोंके देखे विधि विरुद्व की गयी जबकि मौके पर प्रार्थीगण एंव मूल खसरा के खातेदारों के कब्जे पूर्व तरमीम से भिन्न है। इसलिये पूर्व में की गयी विधि विरुद्व तरमीम को प्रार्थीगण दुरुस्त करवाकर नये सिरे से मौका व कब्जा अनुसार तरमीम दुरुस्त करवाने का अधिकारी है अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्धद दस्तावेज का अवलोकन किया तथा तहसीलदा फलौदी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार फलौदी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाय जाता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम जागरियां पटवार हल्का बावडी कलां के खेत खसरा संख्या 103/3, 103/2, 103/1, 103 कुल रकबा 67 बीघा भूमि की पूर्व में की गयी विधि विरुद्व तरमीम को निरस्त किया जाता है तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की उक्त खसरों की मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी फलौदी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 14:39:49 IST
Reason: SelfAttested